दाण्डिक नियमित प्रकरण 47/2019

राजमल बनाम कन्हैयालाल

दिनांक 18.07.2026

पत्रावली आज दिनांक 18.07.2026 को आयोजित की गई स्पेशल राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखी गई। पूर्व की आदेशिका दिनांक 05.06.2026 का अवलोकन किया गया, उक्त दिनांक को परिवादी **राजमल** की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा होना जाहिर कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। परिवादी को चैक के संदर्भवश सम्पूर्ण राशि प्राप्त हो गई है तथा परिवादी प्रकरण में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से निस्तारित किया जाए।।

उपर्युक्त परिदृश्य में प्रकरण जरिये राजीनामा निस्तारति किया जाकर अभियुक्त **कन्हैयालाल पिता फूलचंद निवासी अचलपुरा तहसील छोटीसादड़ी** को धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के अपराध से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष
विशेष राष्ट्रीय लोक अदालत
अपर सेशन न्यायाधीश
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज)

सदस्य